

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 2792 /2-6, दिनांक, गोरखपुर, मई 20 /2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय- जनपद देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोल कारपो० लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग एच०एच०-79 के किमी० 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या- 908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक प्रभावित 0.075028 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- भारत सरकार के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/06/12/2023/एफ०सी०/547 दिनांक 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2296/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/145661/2021, दिनांक 13.03.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया का पत्रांक-2528/2-6, दिनांक 26.04.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक-2528/2-6, दिनांक 26.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव /अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख एत्सह संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

संख्या- अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 2528/2-6 दिनांक, देवरिया, अप्रैल 26 / 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-908 ग्राम-कोन्हलियाँ पो0-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/12/2023/एफ0सी0/547 दिनांक 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2296/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/145661/2021 दिनांक 13.03.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में निम्न

प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	2	3
1	वन (संरक्षण एवं सम्बर्द्धन अधिनियम) के 1980 के उल्लंघन करने पर धारा-3ए, 3बी, के तहत प्रभागीय निदेशक द्वारा कार्यवाही की गयी है?	विषयगत प्रकरण में बिना स्वीकृति के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जो वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन है। इसमें भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के अन्तर्गत एच-2 केस जारी करते हुए प्रतिकर की धनराशि रू0 40,000.00 ई-3 संख्या-12943/41 दिनांक 01.06.2023 द्वारा वसूल किया गया है तथा वन संरक्षण अधिनियम-1980 की धारा-3बी, के तहत कार्यवाही की गयी है। एच-2 केस की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

निदेश

मं0प्र0सं0
R/01.05.2024

6351
26
09-05-2024

भवदीय

R. Jyoti
(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

